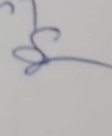
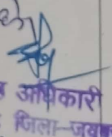
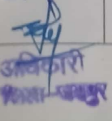


खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर

बनाम मोहन वगैर

81/2025

आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
यह वाद पत्र वादी की ओर से अधिवक्ता श्री <u>हेमना</u> ने धारा 188 राजस्थान कारतकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। पत्रावली अवलोकन सहित दर्ज रजिस्टर होकर तलबी हेतु प्रतिवादीगणों को रजि0 डाक के द्वारा नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 30/06/25 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	
पत्रावली पेर 25/ वकील वादी ने पारी गेविला की एक प्रति भस्मरजि डाक राखी पेश की। जिन्हें शास्त्रिक जिनका सिद्ध गाना 8.0.61 मन्त्र काल में भस्म। पत्रावली दिनांक 11/8/25 को पेश हो। 	
पत्रावली पेर 30/ वकील वादी उभा पत्रावली 2 नम्बर प्रिवादीगण हेतु दिनांक 26/8/25 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	
पत्रावली पेर 30/ वकील वादी अउध वकील वादी उ वकील वादी अउध लागवाई गई नला इतल्ले सिद्ध लेखित उक्त नहीं। पत्रावली का अवलोकन सिद्ध गाना पत्रावली की मंडल 8, पारी क मंडल पेशी में वादिन की पारी ही पत्रावली को पत्र शुभल सेकर गल्ल म कल्ले नला पार प्रति शास्त्रिक इकर हो।  उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	